जोधपुर : गोल्ड में निवेश के नाम पर दो युवकों से 80 लाख की धोखाधड़ी

आरोपी ने गोल्ड में निवेश के नाम पर रकम ली, फिर पैसा एमसीएक्स में लगा दिया

- पीड़ितों ने रूपयों की मांग की तो जान से मारने के साथ झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई
- कोर्ट में इस्तगासे के माध्यम से बासनी पुलिस ने ज्वैलर को नामजद कर जांच आरंभ की है

जोधपुर, (कासं)। शहर के दो युवकों को गोल्ड में निवेश के नाम पर 80 लाख की धोखाधड़ी मामला सामने आया है। आरोपी ने गोल्ड में निवेश के नाम पर रकम ली फिर पैसा एमसीएक्स में लगा दिया, जोकि बाद में डूब जाना बताया गया। पीड़ितों ने रूपयों की मांग की तो जान से मारने के साथ झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। कोर्ट में इस्तगासे के माध्यम से बासनी पुलिस ने ज्वैलर को नामजद कर अब जांच आरंभ की है। रिपोर्ट मसूरिया निवासी दीप मंगल पुत्र अजय मंगल और 12वीं ए रोड निवासी अनुज पुरोहित पुत्र भगवान प्रसाद की तरफ से दी गई है। आरोपी हितेश सोनी का बनाया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार आरोपी मेघांशी जेम्स एंड ज्वैलर्स के नाम की स्वयं की फर्म से अपना व्यवसाय करता है। इनके बीच में काफी समय से अच्छी जान-पहचान है। दिसम्बर 2025 में हितेश सोनी ने उन्हें फोन कर गोल्ड में निवेश के लिए उकसाया। उस पर विश्वास करते हुए पीड़ित ने अपनी फैक्टरी ऑफिस गली नंबर 6 बासनी बुलाया और उस दिन के भाव से जोकि 13000 प्रति ग्राम थे, जिसके हिसाब से अभियुक्त को 30 लाख रूपए गोल्ड लेने के लिए नकद दिए गए। बाद में कहा कि 230 ग्राम गोल्ड आज के भाव से इन रुपयों से खरीद कर वह दे देगा तथा रूपए लेकर वहां से चला गया, जिसके कुछ दिनों बाद पीड़ित ने अभियुक्त से संपर्क किया तो उसने कहा कि गोल्ड मैंने ले लिया है और मैं दो चार दिन में फैक्टरी की तरफ आऊंगा तो तुम्हे सारा गोल्ड दे दूंगा। 13 दिसम्बर 2025 को फिर फोन किया और कहा कि गोल्ड के भाव में बहुत तेजी आने वाली है तथा अभी अगर और इन्वेस्ट करते हो बड़ा मुनाफा हो जाएगा तथा पुराना और अभी वाला सारा गोल्ड में एक साथ ही दे दूंगा।

पीड़ित ने बाद में अपने मित्र अनुज पुरोहित को भी गोल्ड में इंवेस्ट के लिए कहा तो उसने भी विश्वास करते हुए 50 लाख रूपए दिए। तब भाव 13500 प्रति ग्राम थे, 370.37 ग्राम गोल्ड अनुज पुरोहित का बनता है। आरोपी हितेश ने कुल मिलाकर 600.37 ग्राम गोल्ड का गबन लिया। 5 मार्च 2026 को अभियुक्त ने फोन किया और पांच बत्ती चौराहा पर मिला और आश्वासन दिया कि आज के भाव से मेरे द्वारा खरीद किये गए गोल्ड के लगभग 99 लाख रूपए होते हैं जो अभियुक्त ने पीड़ित को एक दो दिन में देने का कहा, लेकिन अभियुक्त ने यह समय गुजर जाने के बाद भी रूपए नहीं लौटाए। बाद में फैक्टरी आया और टालमटोल करता रहा। आरोपी ने कोर्ट में भी डिजिटल हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। बार-बार धोखा मिलते देख परिवादी और साथी आरोपी के घर गए तो पता लगा कि उसने सारे पैसे एमसीएक्स में लगा दिया जोकि डूब गए हैं। आरोपी के मामा कमल सोनी ने उन्हें जान की धमकी दी। साथ ही कहा कि जबरन अनाधिकृत प्रवेश करने, घर की औरतों से छेड़छाड़ करने व अभियुक्त का जबरन अपहरण कर हमसे फिरौती मांगने का मुकदमा तुम्हारे खिलाफ दर्ज करा देंगे और फिर तुम्हारे 80 लाख तो हमने हड़प लिए ही हैं और अब फिर राजीनामा करने के लिए तुमसे एक करोड़ और ले लेंगे। रूपए भूल जाने के लिए कहा गया।

झुंझुनूं : दस साल से फरार स्थायी वारंटी भीम सिंह गिरफ्तार

बीकानेर, नागौर, नीमराणा और अलवर में छिपता फिर रहा था आरोपी भीम सिंह

- सुलताना पुलिस ने लगातार दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया

झुंझुनूं, (निसं)। जिले की सुलताना थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पिछले 10 वर्ष से फरार चल रहे स्थाई वारंटी भीम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वर्षों से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर अलग-अलग शहरों में फरारी काट रहे आरोपी को आखिरकार सुलताना पुलिस की सतर्क निगरानी, मुखबिर तंत्र और लगातार दबिशों के चलते गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सुलताना के थानाधिकारी रविन्द्र कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने लंबे समय तक आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखते हुए उसे धर दबोचा।

पुलिस के अनुसार वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत स्थाई वारंटी भीम सिंह की तलाश के लिए टीम गठित की गई थी। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था और बीकानेर, नागौर, नीमराणा तथा अलवर सहित कई क्षेत्रों में छिपकर रह रहा था। पुलिस टीम ने लगातार पीछा करते हुए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी और मुखबिरों से मिली सटीक सूचना के आधार पर आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान भीम सिंह पुत्र गुमान सिंह राजपूत निवासी केहरपुरा कलां थाना सुलताना जिला झुंझुनूं के रूप में हुई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है तथा आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

पैरों पर अफीम बांधकर बस से तस्करी कर रहे युवक को दबोचा

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले की रायला थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक शातिर तस्कर को दबोचने में सफलता हासिल की है। आरोपी ने पुलिस को चकमा देने के लिए अपने पैरों पर अफीम की थैलियां टेप से चिपका रखी थी, लेकिन रायला थाना पुलिस की चौकसी के आगे उसकी चालाकी धरी रह गई।

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशानुसार अवैध नशे के खिलाफ जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एएसपी शाहपुरा राजेश आर्य और वृताधिकारी गुलाबपुरा जितेन्द्र सिंह के सुपरविजन में रायला थानाधिकारी मूलचंद वर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। गुरुवार को रायला थाने के सामने भीलवाड़ा-गुलाबपुरा रोड पर नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान भीलवाड़ा की तरफ से आ रही भरतपुर डिपो की राजस्थान रोडवेज बस को चेकिंग के लिए रोका गया। पुलिस को देखते ही बस से उतरकर एक युवक भागने लगा, जिसे टीम ने घेराबंदी कर धर दबोचा।

पकड़े गए युवक ने अपना नाम किशन पुत्र लक्ष्मण बैरवा (32), निवासी तुमड़िया (चित्तौड़गढ़) बताया। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो वह दंग रह गई। आरोपी ने अपने दोनों पैरों पर अफीम की दो प्लास्टिक की थैलियां लपेट रखी थी और उन पर पीले रंग की टेप लगाकर उन्हें पैंट के नीचे छिपा रखा था। थैलियों का वजन करने पर 2 किलो 66 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। रायला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले का अठिाम अनुसंधान गुलाबपुरा थानाधिकारी संजय गुर्जर को सौंपा गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे आगे किसे सप्लाई किया जाना था।

स्मैक रखने के आरोपी को एक साल की सजा सुनाई

जोधपुर, (कासं)। एनडीपीएस न्यायालय जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने 13 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ स्मैक की बरामदगी के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को एक वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि जमा न कराने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का दण्डादेश पारित किया।

राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त विशिष्ट लोक अभियोजक (न्यायालय एनडीपीएस मामलात) मनोहर लाल पालीवाल ने बताया कि 24 जनवरी 2013 को डांगियावास के तत्कालीन थानाधिकारी सत्यनारायण ने मय जाब्ता गश्त के दौरान काकेलाव पुलिस थाना डांगियावास निवासी भंवरलाल पुत्र हीराराम का पकड़कर तलाशी ली तो उसके पास आठ ग्राम स्मैक बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक मनोहर लाल पालीवाल ने बहस के दौरान न्यायालय से अवैध मादक पदार्थों के मामलों में आरोपी को कठोरतम सजा देने की मांग की। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों, दस्तावेजी साक्ष्य और आर्टिकल के आधार पर अभियुक्त भंवरलाल को अवैध मादक पदार्थ कब्जे में रखने का दोषी ठहरायाा।

फिरौती मांगने व धमकी मामले में आरोपी को पकड़ा

पुलिस ने विदेशी पिस्टल और कारतूस बरामद किए

- पुलिस गिरोह के नेटवर्क और अन्य आपराधिक गतिविधियों को लेकर गहन जांच कर रही है तथा फरार आरोपियों की तलाश जारी है

हनुमानगढ़, (निसं)। नोहर थाना पुलिस ने फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सुनील उर्फ डेला उर्फ डेलिया (30) निवासी जांडवाला सोतर, फतेहाबाद सदर, हरियाणा, हाल वार्ड नम्बर एक, भादरा के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक विदेशी ग्लॉक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

पुलिस के अनुसार सुनील उर्फ डेला के खिलाफ हरियाणा और राजस्थान में ऑर्म्स एक्ट व फिरौती के करीब 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस उससे मामले में संलिप्त अन्य व्यक्तियों के संबंध में पूछताछ कर रही है। यह कार्रवाई 28 मार्च को नोहर की इंदिरा कॉलोनी निवासी शहनवाज उर्फ सद्दाम द्वारा दर्ज करवाई गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है। शहनवाज ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि करीब तीन माह पहले आकाश निगम और शिवा सिंह गुर्जर उसके घर के बाहर आए थे। आरोपियों ने उसे अमरसिंह बुडानिया की हत्या करने के लिए कहा था। मना करने पर उन्होंने शहनवाज के साथ मारपीट की और 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। आरोपियों ने धमकी दी थी कि यदि पैसे नहीं दिए गए तो उसे जान से मार दिया जाएगा। परिवादी के अनुसार आरोपियों ने यह भी कहा था कि उनकी गैंग ने हथियार खरीद रखे हैं और वे हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देने में सक्षम हैं। रिपोर्ट में गैंग के अन्य सदस्यों के रूप में अनिल उर्फ गुरु, मोनू और संदीप टोगसिया के नाम भी सामने आए थे। पुलिस गिरोह के नेटवर्क और अन्य आपराधिक गतिविधियों को लेकर गहन जांच कर रही है तथा फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने जांच के दौरान इस मामले में शामिल मोनू पुत्र बलवान सिंह निवासी खचवाना, संदीप पुत्र जयसिंह निवासी वार्ड 4, फेफाना, अनिल उर्फ चोटिया उर्फ गुरु पुत्र महेन्द्र गोस्वामी निवासी सागड़ा, आकाश निगम पुत्र मुन्नालाल निवासी पूर्णपुरा, आगरा तथा शिवा उर्फ शिवा गुर्जर पुत्र नारायण सिंह निवासी लाडवापुरा, आगरा, उत्तर प्रदेश को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया था।

युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की

- जब पत्नी घर पर पहुंची तो पति को फंदे पर लटका पाया और पुलिस को सूचना दी

कोटा, (निसं)। कुन्हाडी थाना इलाके में एक युवक ने घर में फांसी का फन्दा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार इलाके के सुमन विहार निवासी लक्ष्मण कुमार ने घर में पंखे से फांसी का फंदा लगा लिया।

मामले में सामने आया कि घटना के वक्त मृतक घर में अकेला था, जब पत्नी घर पर पहुंची तो पति को फंदे पर लटका पाया, जिसे लोगों की मदद से नीचे उतारकर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। कुन्हाड़ी थानाधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि मूल रूप से श्रीगंगानगर हाल कुन्हाडी इलाके के सुमन विहार द्वितीय निवासी लक्ष्मण जो किराये से परिवार सहित रहता था, जिसने घर में फांसी का फंदा लगाकर सुसाईड कर लिया। थानाधिकारी ने बताया कि लक्ष्मण पत्नी के साथ रहता था, घटना के वक्त पत्नी किसी काम से बाहर गई हुई थी, वापस लौटने पर उसने पति को फंदे पर लटका देखा मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया। थानाधिकारी ने बताया कि फिलहाल आत्महत्या के पीछे कोई कारण सामने नहीं आया है। मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

नकबजनी मामले में तीन को पकड़ा

उदयपुर, (निसं)। ओगणा थाना पुलिस ने नकबजनी एवं लूट की वारदात का खुलासा करते हुए इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रकरण के अनुसार 15 अप्रैल को पीड़ित बदाराम पुत्र रताजी निवासी वासखेड़ा फला डूंगरी ओगणा ने रिपोर्ट दी कि सवेरे तीन बदमाश मेरे मकान में घुस कर बंधक बनाकर एक क्विंटल मक्का, तीन क्विंटल गैहूं, तीन बकरा व चार बकरियां, मोबाईल, चांदी के कड़े चुरा ले गए तथा पास में ही बने मेरे छोटे पुत्र रामलाल के पक्के मकान से कपड़े व मेरे बड़े पुत्र रूपलाल के निवनिर्मित मकान के कमरों की चाबियां चोरी कर ले गए।

मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक डॉ.अमृता दुहन के निर्देश पर ओगणा थानाधिकारी रामरूप मीना मय टीम ने कार्यवाही करते हुए चूना पुत्र वेला, तेजा पुत्र मानाराम व फागणा पुत्र नामा निवासी पाटीया ओगणा को गिरफ्तार किया।

30 साल पुराने डकैती के मामले में फरार चल रहा आरोपी झारखंड से गिरफ्तार

आरोपी ने साल 1996 में अपने साथियों के साथ मिलकर कारोई क्षेत्र में एक यात्री बस में हथियारों के दम पर यात्रियों से डकैती की थी

- मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन नौशाद तभी से फरार चल रहा था

भीलवाड़ा, (निसं)। भीलवाड़ा जिला पुलिस और सायबर की संयुक्त टीम ने 30 साल पुराने डकैती के मामले में फरार चल रहे एक शातिर और उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी साल 1996 में कारोई क्षेत्र में एक चलती बस में सवारियों के साथ हुई सनसनीखेज डकैती की वारदात में शामिल था।

30 साल पुरानी है वारदात :- पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी नौशाद शेख (52) पुत्र सदीक शेख निवासी साहिबगंज, झारखंड ने साल 1996 में अपने साथियों के साथ मिलकर कारोई क्षेत्र में एक यात्री बस को निशाना बनाया था। बदमाशों ने हथियारों के दम पर यात्रियों से लूटपाट और डकैती की थी। इस मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन नौशाद तभी से फरार चल रहा था। एसीजेएम कोर्ट गंगापुर ने उसे धारा 299 जाफो के तहत उद्घोषित अपराधी और स्थाई वारंटी घोषित किया था। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशानुसार जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एएसपी सहाड़ा बुद्धराज व वृताधिकारी गंगापुर सुदर्शन पालीवाल के सुपरविजन में कारोई थानाधिकारी महावीर प्रसाद और सायबर की एक विशेष टीम गठित की गई।

आरोपी पिछले तीन दशकों से लगातार ठिकाने बदल रहा था। सायबर के कांस्टेबल पिंटू कुमार और हेमंत सिंह ने तकनीकी सहायता से आरोपी का रूट चार्ट तैयार किया। पुलिस टीम ने आरोपी के निवास स्थान पर कई बार दबिश दी और कड़ी मेहनत के बाद उसे उसके मूल निवास झारखंड से धर दबोचा। इस कार्रवाई को महावीर प्रसाद, थानाधिकारी, कारोई, आशीष कुमार, सउनि, सायबर सेल भीलवाड़ा, विष्णु सिंह, सउनि, थाना कारोई, कांस्टेबल पिंटू कुमार व हेमंत सिंह, सायबर (तकनीकी विशेषज्ञ), बनवारी लाल, कांस्टेबल, थाना कारोई ने अंजाम दिया।

फिरौती मांगने वाला गिरफ्तार

उदयपुर। झाड़ोल थाना पुलिस ने अपहरण कर फिरौती की मांग करने वाले पोपट उर्फ पप्पुलाल पुत्र चुन्नीलाल निवासी बछार नाई को गिरफ्तार किया। 15 मार्च को पीड़ित अम्बालाल पुत्र राजमल निवासी तलाई ने झाड़ोल पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि 14 मार्च को गोराणा में सामान खरीदने गया। वहां से मुझे भेरा मिला। जो मुझे अपने साथ ले गया। कुछ दूरी पर मिले 10-12 जने बाइक पर मौजूद थे। मेरा अपहरण किया और लूटपाट की।

जोधपुर में चोरी की कार में तस्करी पकड़ी

जोधपुर, (कासं)। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने बिलाड़ा थाना क्षेत्र से 134.895 किलोग्राम अवैध डोडा-पोस्त बरामद कर तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कार डिवाइडर कूदाकर भागने की कोशिश की, लेकिन एएनटीएफ ने उसे पीछा कर पकड़ लिया। उसकी कार से अलग-अलग नंबर प्लेटें मिली। वह चोरी की कारों से तस्करी करता था। उसके पास चोरी की एक लक्जरी कार है।

एएनटीएफ के डीआईजी अभिजीत सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक कार में बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ का परिवहन हो रहा है। पड़ताल में पता चला कि कार जोधपुर-जयपुर नेशनल हाईवे नंबर 25, थाना बिलाड़ा के खारिया मीठापुर से गुजरेगी। इस पर थाना बिलाड़ा में नाकाबंदी कर दी गई। नाकाबंदी के दौरान दूर से तेज गति से एक कार आती दिखी। टीम ने कार रोकने का इशारा किया तो चालक ने कार को तेज गति से डिवाइडर के ऊपर से कूदाकर गलत दिशा में दौड़ाने लगा। डिवाइडर पर चढ़ने से कार के आगे के टायर बेकार हो गए। एएनटीएफ टीमों ने कार का पीछा करते हुए उसे सरहद पिचियाक, नेशनल हाईवे नंबर 25 पर रोक लिया। स्थानीय पुलिस को बुलाकर कार की तलाशी ली गई, जिसमें अवैध मादक पदार्थ डोडा-पोस्त बरामद हुआ।

आरोपी की पहचान झंवर थाना क्षेत्र निवासी मनीष विश्नोई के रूप में हुई। कार की तलाशी में अलग-अलग नंबरों की नंबर प्लेटें मिली। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि तस्करी के दौरान पुलिस से बचने के लिए रास्ते में कार के नंबर प्लेट बदल लेता था। आरोपी ने बताया कि वह डोडा-पोस्त की तस्करी में चोरी की कारों का उपयोग करता था। जिस कार को जब्त किया गया, वह भी चोरी की बताई गई।

अजमेर जेएलएन के चिकित्सकों ने छात्र के पैर से गोली के 12 छर्रे निकाले

सीटीवीएस विभाग की टीम ने करीब नौ घंटे तक चले ऑपरेशन में फटी हुई नसों को भी सफलतापूर्वक ठीक किया

अजमेर, (कासं)। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) अस्पताल में डॉक्टरों ने जटिल ऑपरेशन कर 18 वर्षीय छात्र की जान बचाते हुए उसके पैर को सुरक्षित कर लिया। कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) विभाग की टीम ने करीब नौ घंटे तक चले ऑपरेशन में छात्र के बाएं पैर से गोली के 12 छर्रे निकालने के साथ फटी हुई नसों को भी सफलतापूर्वक ठीक किया।

- खेत में हुये हादसे के दौरान छात्र को गोली लग गई थी

जेएलएन अस्पताल में डॉक्टरों ने जटिल ऑपरेशन कर 18 वर्षीय छात्र की जान बचाई।

जानकारी के अनुसार किशनगढ़ क्षेत्र के खातौली गांव निवासी 18 वर्षीय रेहान को 11 अप्रैल को खेत में हादसे के दौरान गोली लग गई थी। घायल अवस्था में परिजन उसे 12 अप्रैल को जेएलएन अस्पताल लेकर पहुंचे। उस समय उसकी हालत अत्यंत गंभीर थी। अधिक रक्तस्त्राव के कारण वह शॉक में चला गया था और ब्लड प्रेशर बेहद कम हो गया था। अस्पताल के प्रिंसिपल डॉ. अनिल सामरिया ने बताया कि मरीज के बाएं पैर के पीछे की तीन प्रमुख नसें फट चुकी थी, जिससे लगातार खून बह रहा था और पैर में भारी सूजन आ गई थी। हालत इतनी नाजुक थी कि इलाज के दौरान एक बार उसका हृदय भी बंद हो गया, जिसे डॉक्टरों ने तत्काल सीपीआर देकर दोबारा चालू किया।

कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग के डॉ. प्रशांत कोठारी की देखरेख में डॉ. तेजकरण सैनी के नेतृत्व में विशेषज्ञों की टीम ने मरीज को स्थिर करने के बाद सर्जरी की। करीब 9 घंटे तक चले ऑपरेशन में न केवल पैर से 12 छर्रे निकाले गए, बल्कि फटी हुई तीनों नसों को भी सफलतापूर्वक रिपेयर किया गया। डॉक्टरों के अनुसार यदि समय पर ऑपरेशन नहीं किया जाता तो मरीज की जान को खतरा था और 24 घंटे के भीतर पैर काटने की नौबत भी आ सकती थी।

अधीक्षक डॉ. अरविंद खरे और उपाध्यक्ष डॉ. अमित यादव ने बताया कि विभिन्न विभागों के समन्वय से यह जटिल ऑपरेशन संभव हो पाया। मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

घायल छात्र रेहान ने बताया कि घटना के दिन वह खेत की रखवाली कर रहा था। इसी दौरान खेत में जंगली सूअर घुस आए, जिससे घबराकर वह पास की कोटड़ी की ओर भागा। तभी कोटड़ी के बाहर टंगी बंदूक अचानक नीचे गिर गई और उससे गोली चल गई, जो उसके पैर में आकर लग गई। घटना के बाद परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसका जीवन बचा लिया।

सूरतगढ़ में हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार

सूरतगढ़, (निसं)। शहर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को 26 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है।

थाना के एसआई सुभाष बराला ने बताया कि पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान जब टीम बडोपल रोड स्थित आनंद कॉलोनी क्षेत्र में पहुंची तो एक युवक पुलिस वाहन को देखकर घबरा गया और मौके से भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने तुरंत पीछा किया और काबू कर लिया। इसके बाद पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में उसकी तलाशी ली गई, जिसमें उसके कब्जे से 26 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अंगत उर्फ रॉकी शूटर (22) पुत्र विजय वाल्मीकि, निवासी वार्ड नंबर 37 सूरतगढ़ बताया।

कार्यालय नगर परिषद सुजानगढ़ (चूरू) राजस्थान

E-mail id:- nps222419@gmail.com Phone no. 01568-222419

क्रमांक :-न.प.सु/स्टोर शाखा/2026/805 दिनांक :- 29.04.2026

:-ई-निविदा सूचना-2026-27:-

नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये उपयुक्त सक्षम श्रेणी के राज्य सरकार के विभागों में प्रजीकृत ठेकेदारों/फर्मो से निविदा दिनांक 14.05.2026 तक आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट https://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कि जा सकता है एवं निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाईट www.sppp.raj.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। निविदा का बीड क्रमांक DLB2627GLOB03148 है। कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस को नगर परिषद सुजानगढ के कार्यालय में एवं सूचना बोर्ड पर देखी जा सकती है।

आयुक्त
नगर परिषद, सुजानगढ

राज.संवाद/सी/26/1867

कार्यालय नगर परिषद् प्रतापगढ़, जिला-प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक :-न.प.प्र./स्टोर/2026/372 दिनांक: 27.04.2026

ई टेण्डरिंग निविदा सूचना संख्या:- 04/2026-27

नगर परिषद द्वारा राजस्थान सरकार के एवं केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार व उनके अधिकृत संगठनों में पंजीकृत संवेदको एवं अन्य समकक्ष इच्छुक संगठन जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदको के समकक्ष हो उनसे निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑन लाईन निविदाएं टू बिड प्रणाली अन्तर्गत आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण इंटरनेट साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

निविदा में कुल कार्य	21
निविदा की कुल लागत	184.00लाख
ऑनलाईन निविदा फॉर्म मिलने की दिनांक	दिनांक 27.04.2026 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 10.05.2026 सांय 5.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा फॉर्म जमा कराने की दिनांक	दि. 10.05.2026 प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करवाने की दिनांक	दि. 11.05.2026 प्रातः 10:00 बजे से सायः 12.00 बजे तक
ऑनलाईन तकनिकी निविदा खोलने की दिनांक	दि. 11.05.2026 दोपहर 02.00 बजे
ऑनलाईन फाईनेशियल निविदा खोलने की दिनांक	दि. तकनीकी परिपत्र पश्चात दोपहर 03.00 बजे

निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण वेब साईट http://sppp.rajasthan.gov.in तथा http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेब साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।

UBN NO. DLB2627GSOB02698 TO DLB2627SSOB02790

आयुक्त
नगर परिषद् प्रतापगढ़ (राज.)

राज.संवाद/सी/26/1869

कार्यालय नगरपरिषद, करौली (राज0)

फोन न.07464-294024, ई-मेल आईडी np.karauli@yahoo.com, website - WWW.npkarauli.in

क्रमांक : 767 दिनांक : 28.04.2026

ई-निविदा सूचना

सर्वसाधारण एवं उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों को सूचित किया जाता हैं कि "SITC of phase wire. SITC and O&M of CCMS in Nagar Parishad Karauli" का कार्य कराना चाहती है। जिस हेतु EWSD श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से ई-टैण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा का विवरण व शर्ते www.sppp.rajasthan.gov.in & www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता हैं।

कार्य का नाम	SITC of phase wire. SITC and O&M of CCMS in Nagar Parishad Karauli
निविदा की अनुमानित लागत	47.55 लाख
धरोहर राशि	अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत
ऑनलाईन निविदा फॉर्म मिलने /डाउनलोड की तारीख	30.04.2026 समय 2:00 पीएम से 12.05.2026 समय 6:00 पीएम तक
ऑनलाईन निविदा फॉर्म जमा करने की अन्तिम तिथि	12.05.2026 समय 6:00 पीएम तक
ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल प्राप्त तकनीकी बिड की खोलने की तिथि	13.05.2026 समय 4:00 पीएम
निविदा शुल्क	1000/- रूपयें
निविदा प्रोसेसिंग शुल्क	500/-रूपये
निविदा प्रपत्र व शर्ते डाउनलोडिंग बेबसाईट	eproc.rajasthan.gov.in
कार्य की समयावधि	02 माह
UBN.-	DLB2627SLOB02963

आयुक्त
नगरपरिषद, करौली

राज.संवाद/सी/26/1877